



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP023559164487371

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp


E-STAMP NO. JR
MDP-CG-008 PRAKAS

C NO UP1445

COLLECTORATE MATHURA

Mob No. 975 34 4

Certificate No. : IN-UP02355916448737V
 Certificate issued Date : 01-Sep-2023 10:51 AM
 Account Reference : NEWINPACC (SV)/up14445104/MATHURA/SADAR/UP-MTH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1444540400295683510953V
 Purchased by : SECRETARY YASHPAL SINGH
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : PACHAINYA SHIKSHA SAMITI
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : PACHAINYA SHIKSHA SAMITI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One hundred only)



Please write or type address here



Notarized At Address:

MAY 4/2023



Important Note:

- The use of e-Stamp carries no legal validity to serve documents or filing of cases before Courts or Tribunals.
- Any stamp or seal on the document shall be rejected by the concerned authority.
- This is a digital stamp and is not a physical stamp.
- It cannot be used for other purposes than this.

(प्रारूप - ज)

मुक्त 2023 - 24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ - पत्र का प्रारूप

हम उमिला देवी एवं यशपाल सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव पर्चेश शिक्षा समिति जाजनपट्टी मगोरा मधुरा उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा पर्चेश कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाजनपट्टी मगोरा मधुरा नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023 - 24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम पर्चेश शिक्षा समिति की भूमि जाजनपट्टी मगोरा मधुरा (३० प्र०) में गाठा संख्या 2770/2 , 2775/7 रकवा 0.306 हेक्टेयर , 0.713 हेक्टेयर (कुल रकवा 1.019 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रवार का कोई भी बाद किसी भी व्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या 2770/2 , 2775/7 रकवा 0.306 हेक्टेयर , 0.713 हेक्टेयर (कुल रकवा 1.019 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01/09/2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रथगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया , नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया , नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल और इंडिया , नई दिल्ली में अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् , उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद् / विश्वविद्यालय द्वारा



मुक्त 2023-24

अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई.टी.आई.
आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भवित्व में कभी किया
जायेगा।

जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी वार्डमिल ऑफ़ इंडिया, नथी दिल्ली एवं प्राविधिक शिव्या परिषद् के नामकों के अनुसार ही सुमित्रित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के सचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक म्टाफ की तैयारी सौसाइटी / इस्ट द्वारा सब प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12 यह कि, शासन / परिषद् द्वारा निर्भत लिंगों / आदेशों का भलीभाति पालन करेगा।
यदि मेरे सम्बन्ध में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी जांची जाती है तो परिषद् की निरिक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिशय होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

जागती
 १३। मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी जिजी
 जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अधिलेख / दस्तावेज
 कर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा
 नियमानुसार कानूनन संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक
 कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

२०१४।८
हॉमेडिक

१५

Mr. L. Robert
Read over an
who is identified by me
& on oath Acquitted
at my office & noted down in my book
Register at No. 123
and Charged Fines Rs.

Signature All Admitted

Yeshua Ratz